

“लाडली लक्ष्मी योजना”

“लाडली लक्ष्मी योजना” के अंतर्गत 6000/- रु. का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

परियोजना अधिकारी

परियोजना

जिला

मध्यप्रदेश

मैं अपनी पुत्री/आश्रम की बालिका कु का पंजीकरण, (प्रथम / द्वितीय / विशेष प्रकरण) “लक्ष्मी योजना” में कराना चाहता/चाहती हूँ। इसके लिए विवरण निम्नलिखित हैं।

1	2	3
1	बालिका का नाम	
2	बालिका का जन्म दिनांक	
3	बालिका की माता का नाम	
4	बालिका की माता की आयु	
5	बालिका के पिता का नाम	
6	बालिका के पिता की आयु	
7	बालिका के भाई बहनों की संख्या (बालिका को छोड़कर)	
8	बालिका की बहन/भाई का नाम	
9	बालिका की बहन/भाई का जन्म दिनांक	
10	क्या बालिका की बहन भी हितग्राही है	हाँ / नहीं
11	बालिका के माता पिता के निवास का पूर्ण पता मकान क्रमांक वार्ड/ग्राम आँगनबाड़ी केन्द्र तहसील जिला पिनकोड़	
12	आँगनबाड़ी क्षेत्र में कब से निवास करते हैं	जन्म से/गत वर्षों से
13	पोस्ट ऑफिस का नाम जिससे राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय किया जाना है।	

14	बालिका के पिता/माता में परिवार नियोजन किसने अपनाया	माता/पिता/लागू नहीं
15	परिवार नियोजन अपनाने की दिनाँक	
16	आवेदक का वर्ग/सामान्य/अ.ज./अ.ज.जा./पि.वर्ग	
17	आवेदक की अनुमानित वार्षिक आय	
18	क्या बालिका के माता पिता आयकर दाता हैं	हैं/नहीं
19	क्या बालिका के माता पिता बी.पी.एल. कार्ड धारक हैं	हैं/नहीं

आवेदक का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं आयकर दाता नहीं हूँ एवं मेरे द्वारा दिये गये उक्त सभी तथ्य सही हैं, अगर इन तथ्यों में किसी भी प्रकार की कोई विसंगति या झूठ पाया जाता है तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ।

कोई विसंगति या झूठ पाये जाने पर मेरे द्वारा दिया गया आवेदन—पत्र किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा किसी अन्य औंगनबाड़ी केन्द्र से आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आवेदक का नाम
दिनाँक

हस्ताक्षर

आवेदक का घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि, मेरे परिवार द्वारा द्वितीय प्रसव पर परिवार नियोजन अपना लिया जावेगा/मेरे परिवार द्वारा परिवार नियोजन अपना लिया गया है।

अपनी पुत्री को नियमित रूप से औंगनबाड़ी में भेज़ूँगा/भेजूँगी, तथा उसे, निरंतर पढ़ाऊँगा/पढ़ाऊँगी—लिखाऊँगा/लिखाऊँगी।

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि अपनी पुत्री कु. का विवाह, निर्धारित न्यूनतम आयु 18 वर्ष के पश्चात् ही करूँगा/करूँगी।

मैंने योजना की शर्तों को भली—भाँति समझ लिया है, यदि मेरी पुत्री पात्रता शर्तों का पालन करने में विफल रहती है तो उसके नाम से क्रय किए गए/नवीनीकृत किए गए राष्ट्रीय बचत पत्र शासन वापस लेने हेतु अधिकृत होगा।

बालिका की मृत्यु अथवा पात्रता शर्तों के पालन न कर पाने की स्थिति में तत्काल सूचना औंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दूँगा/दूँगी।

आवेदक का नाम
दिनाँक

हस्ताक्षर

दत्तक लेने वाले परिवार द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा अनाथ बालिका कु. पिता /
 संस्था का जन्म दिनांक को वैद्यानिक रूप
 से दत्तक लिया गया है जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

दत्तक लेने वाले माता / पिता
 आवेदक का नाम

दिनांक

हस्ताक्षर

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रपत्र आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार फार्म संलग्न किये जायें

- 1— राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय के लिए भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन (पांच प्रति) में।
- 2— पत्र को शासन को प्लेज करने के लिए हस्ताक्षरित आवेदन (पांच प्रति) में।
- 3— आवेदक के मूल निवासी होना, परिवार नियोजन अपनाना, के संबंध में कोई दस्तावेज़ / प्रमाण पत्र।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दी जाने वाले प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति पत्नि श्री गांव
 परियोजना जिला की पुत्री
 कुमारी का जन्म दिनांक है तथा बालिका योजना के लिए पात्र
 है। बालिका का नाम आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक में पंजीकृत है तथा प्रमाणित किया जाता
 है कि बालिका परिवार में जन्मी प्रथम सन्तान है/बालिका के पिता / माता ने परिवार नियोजन अपना
 लिया है और बालिका के माता पिता के दो ही जीवित सन्तान हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
 बालिका के माता पिता गाँव के मूल निवासी हैं।

नाम

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
 के हस्ताक्षर

प्रमाणित
 सेक्टर सुपरवाइजर

प्रभारी अधिकारी अनाथ आश्रम/बाल संरक्षण गृह द्वारा दिये जाने वाले
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी संस्था
में दिनाँक से पंजीकृत है। पंजीकरण के समय उसकी जन्म दिनाँक लगभग
अंकित की गई है तथा बालिका योजना के लिए पात्र हितग्राही है।

प्रभारी अधिकारी अनाथ आश्रम/बाल संरक्षण गृह का नाम एवं
हस्ताक्षर

बाल विकास परियोजना अधिकारी का स्वीकृति आदेश

उक्त दिये गये तथ्यों के आधार पर कु. पुत्री श्रीमति
..... पत्नि श्री निवासी
परियोजना जिला के नाम 6000/- रु. के राष्ट्रीय
बचत पत्र 5 वर्षों तक खरीदने की स्वीकृति दी जाती है। बालिका का नाम योजना के हितग्राही रजिस्टर
के क्रम संख्या पर पंजीकृत है।

नाम एवं हस्ताक्षर
बाल विकास परियोजना अधिकारी
परियोजना
जिला